इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2011—फाल्गुन 24, शक 1932

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. एफ 23-15-2004-4-पच्चीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम, 2004 एवं संशोधन दिनांक 19 जुलाई 2010 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम, 2004 में

नियम—3.3 पूर्व नियम 3.3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/बस्ती/वार्डों/मजरे/टोलों/पारे से, जिनमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हों तथा जहां कम से कम अनुसूचित जाति के 20 परिवार निवास करते हों."

नियम—5.1 आदेश दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा नियम—5.1 के अंतर्गत कार्यों की सूची में क्रमांक 11 के बाद जोड़े गये क्रमांक 12 एवं 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

क्र. (1)	कार्य का नाम (2)	अधिकतम सीमा (लाख में) (3)
12	जनरेटर प्रदाय	02.00
13	नलकूप खनन (समर्सिबल पंप सहित)	03.00

परंतु—

जनरेटर अथवा सबमर्सिबल पंप केवल विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों तथा विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक/मांगलिक भवनों एवं साप्ताहिक बाजारों, ग्रामीण बस स्टैण्डों पर ही लगाये जा सकेंगे.

यह और भी कि—

सामुदायिक/ मांगलिक भवनों, साप्ताहिक बाजारों एवं ग्रामीण बस स्टेण्डों पर लगाये जाने वाले जनरेटरों/सबमर्सिबल पंपों का संधारण एवं संचालक की जिम्मेदारी लेने का वचन-पत्र स्थानीय निकाय से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य स्वीकृत किये जाएंगे.

नियम—5.4 आदेश दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा नियम—5.4 में किए गये संशोधनों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''विशेष परिस्थितियों में सक्षम तकनीकी अधिकारी की सलाह पर नियम 5.1 में अंकित अधिकतम इकाई लागत सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की अनुमति आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा दी जा सकेगी.''

नियम—10.1 आदेश दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा नियम—10.1 में किए गये संशोधनों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास कार्य कराने हेतु धनराशि का आवंटन आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराया जाएगा.''

नियम—10.2 नियम 10.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत उपलब्ध कराया जायेगा''.

नियम—10.6 आदेश दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा नियम 10.5 के पश्चात जोड़े गये नियम—10.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का 80 प्रतिशत आवंटन जिलों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान का शेष 20 प्रतिशत शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगा, जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणाएं एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराया जा सकेगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजुक्ता मुद्गल, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011